हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक
एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना सख्या: ईडीएन(टीई)एफ(5)2/2025 तारीख शिमला-171002 18,अप्रैल, 2026

प्रारंभिक अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर लोक प्रयोजन हेतु **राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बन्दला, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश** के लिए सड़क/भवन/रास्ते इत्यादी के निर्माण हेतु गाँव बन्दला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में कुल 3-10 बीघा निजी भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित है। परियोजना के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआईए) यूनिट द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्यान्वित किया गया था और इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विशेषज्ञ समूह से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का अंकन निर्धारण संचालित करवाया है जिसे सरकार को प्रस्तुत किया गया था। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्रतियों के साथ-साथ विशेषज्ञ समूह की अंकन रिपोर्ट की प्रतियां भी प्रभावित ग्राम पंचायतों को प्रदत्त की गई थी।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि निम्नलिखित विनिर्दिष्ट क्षेत्र में संभाव्य अपेक्षित है:

निजी भूमि गाँव बन्दला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश					
क्र० संख्या	खसरा नं ०	स्वामित्व के प्रकार	किस्म जमीन	रकबा बीघों में	मालिक का नाम
1.	1115/878	संयुक्त स्वामी	बारानी	0-6	सुनीत, पुनीत पुत्र गीताराम निवासी बन्दला बराबर भाग
2.	1116/878	संयुक्त स्वामी	कुल जमीन गैर मुमकिन पत्थर, गैर मुमकिन आबादी, बारानी	3-4 0-10 0-03 2-11	कुल 128 भाग, विजय राम 46 भाग, मनीष व रितेष बराबर 23-23 भाग, प्रकाश चन्द, हँस राज व चिन्ता भाग 12-12, निवासी बन्दला
कुल जमीन				3-10	

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार निम्नानुसार है:-

"राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज बन्दला, बिलासपुर की संकल्पना ऊर्जा और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए कुशल इंजीनियर तैयार करना है। हिमाचल प्रदेश में इसकी पांच प्रमुख नदियों में अपार जल विद्युत संभाव्य है। राज्य में अनेक जल विद्युत परियोजनाएं संचालित हो रही है और बहुत सारी की निकट भविष्य में क्रियाशील होने की संभावना है। यह क्षेत्र तेज गति से वृद्धि कर रहा है और इन परियोजनाओं के लिए कुशल इंजीनियर अपेक्षित है। राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज बन्दला, बिलासपुर की स्थापना इस क्षेत्र की माँग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में इंजीनियर तैयार करने के लिए की गई है। वर्तमान में संस्थान कार्य कर रहा है। तथापि, पीएएफ के सामने आने वाली विस्थापन के कारण चुनौतियों और समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उचित शमन की आवश्यकता है, इस मामले में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और प्रत्येक पीएएफ कालेज के निर्माण का समर्थन करता है परन्तु यदि उनके पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की मांग, उचित मुआवजा और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का समय पर समाधान हो। चूंकि यह परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करती है और भूमि अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पीएएफ की 100 प्रतिशत सहमति है, इसलिए एसआईए टीम भूमि अधिग्रहण की सिफारिश करती है।"

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भू-अर्जन एवं उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), सदर जिला बिलासपुर के कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेख के अनुसार किसी भी परिवार का इस भू-अर्जन से विस्थापन होने की सम्भावना नहीं है।

परिवारों के विस्थापन यदि कोई हो, के दृष्टिगत, उपायुक्त, जिला बिलासपुर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रुप में नियुक्त किया जाता है। अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त हेतु परियोजना के लिए गांव बंदला, तहसील सदर, जिला बिलासपुार, हिमाचल प्रदेश मानक माप 3-10 के लिए रकबे की भूमि, जिसका ब्यौरा और विवरण ऊपर दिया गया है, अधिग्रहणाधीन है।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने कर्मचारिवृन्द और कर्मकारों के साथ अर्जन कार्य में तत्समय लगे अधिकारी को अक्त क्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात समस्त अन्य कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करते है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति समाहर्ता (कलक्टर), भू-अर्जन एवं उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) सदर, जिला बिलासपुर के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अर्जन के बारे में जैसे प्रतिकर के संदाय, उपार्जन (कमाई) के नुकसान, फसलों के नुकसान, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन आदि के बारे में उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), सदर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, दायर किए जा सकेंगे।

भूमि के रेखांकन (प्लान) का निरिक्षण उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), सदर, जिला बिलासपुर एवं भू-अर्जन अधिकारी सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान किया जा सकेगा।

डा० अभिषेक जैन

सचिव (**तकनीकी शिक्षा,**
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण),
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त तारीख शिमला-2, 18, अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 |
2. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश शिमला-2 को दो प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों, जिनमें एक क्षेत्रीय भाषा का हों, में करवाया जाये।
4. अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन फेयरलान, शिमला-171012 को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. निदेशक तकनीकी शिक्षा, सुन्दरनगर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को अधिसूचन की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करें ।
6. उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
7. तहसीलदार, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

8. भू-अर्जन अधिकारी, राजकीय हाईड्रो अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, बन्दला (बिलासपुर) हिमाचल प्रदेश, उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रचार सम्बन्धित क्षेत्र में जन साधारण की जानकारी हेतु सुविधाजनक स्थानों पर करवाया जाए ।

9. निदेशक/प्रधानाचार्य राजकीय हाईड्रो अभियान्त्रिकी महाविद्यालय से अनुरोध है कि इस कार्य को पूर्ण करने हेतु अन्य विभागों से समन्वय कर के समय अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।

(सुनील शर्मा)
विशेष सचिव (**तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण**),
हिमाचल प्रदेश सरकार